

No. 14039/45/2013-UTS-II  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
\*\*\*

North Block, New Delhi,  
Dated the 29<sup>th</sup> July, 2013

**Subject: Information sought under RTI Act, 2005 – Reply – Regarding.**

With reference to his application dated 19.06.2013 filed under RTI Act, 2005 received through transfer from UTP on 24.07.2013, Shri. Rajendra Prasad is informed that this section is concerned with point No. 1 relating to the transfers in the cadre of DANIPS. Transfers in the DANIPS are carried<sup>out</sup> as per the transfer policy guidelines which may be accessed from the web-site of the Ministry at [www.mha.nic.in](http://www.mha.nic.in).

2. Hindi version of the letter will follow shortly.



(S.K. JAIN)  
DIRECTOR AND CPIO  
Tele No.2309-2436

To

Shri Rajendra Prasad,  
R.Z.F 33-A, Sadh Nagar,  
Palam Colony,  
New Delhi – 110 045.

जारी किया/ISSUED  
दिनांक/Date..... 30.7.13  
हस्ता./Sign.....

02 JUL 2013

को.सं. 11/84/11  
अक सं. 11/84/11  
सी.आर. सं. 11/84/11

भारत सरकार  
शुचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन मुख्य शुचना

शुचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन मुख्य शुचना

शुचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन मुख्य शुचना

1) शुचना पुलिस अधिकारी को सिकायत पुलिस के सहायक आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त या S.M.O या अन्य अधिकारी जो तब बदला किया जाता है उसके बारे में पुरी जानकारी दी जावे.

दिल्ली में खास्य आपूर्ति दिल्ली में सहायक आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, इनकी सिकायत करनी होती आयुक्त मुख्य के पास उसके बाद इनके पास भासिक आप से 50 गुना रुपये रिश्त लेते है इनके बारे में कौन सा विभाग है जहां इनकी सिकायत तब बदला किया जावे इसके बारे में पुरी शुचना दी जावे

दिल्ली में विल्डिस, प्रोडपी डीकर, कारनैसंग और M.C.D में A.E. E ग्रुड अवैद्य निर्माण करने पर मोदी रिश्त लेते है और अवैद्य निर्माण में पुलिस, M.C.D, और M.L.A. निगम पार्षद और रिश्त में रुपये लेते है इनकी सिकायत के बारे में पुरी जानकारी और जहां पर भारत सरकार के अधिकारी जांच करे उसकी सिकायत दिल्ली सरकार में या आपके विभाग में न सख के बारे में पुरी जानकारी सही करण से दी जावे

4390/RTI/2013  
दिनांक

आपके विभाग में किस-किस विभाग को सिकायत या आप के विभाग में कोई सिकायत करता है तो किस अधिकारी को सिकायत की जाये ताकी उस अधिकारी के नाम पर आपका पत्र के कौन से विभाग में सिकायत की जाये ताकि वह सिकायत को सही जांच हो सके इसके बारे में जानकारी दी जावे



